

कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013

धारा -11

क्रमांक /434/भू-अर्जन/प्र.क्र.02/अ-82/16-17

कुण्डम, दिनांक-15.6.2016

चूंकि राज्य शासन को इस यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा दरगढ़ जलाशय निर्माण हेतु ग्राम दरगढ़ की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि - 89.29	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं संक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम	दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
जबलपुर	कुण्डम	दरगढ़			

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है। भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुण्डम के कार्यालय में या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेश चन्द्र चौधरी)

कलेक्टर जिला जबलपुर
एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग

पृष्ठा. क्रमांक /435/भू-अर्जन/प्र.क्र.02/अ-82/16-17

कुण्डम,

दिनांक-15.6.2016

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र. भोपाल को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में प्रकाशनार्थ।
2. संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग गोलबाजार जबलपुर की ओर दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. कार्यालय कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर को भू-अर्जन अधिनियम प्रारूप 11 की अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी जबलपुर (कलेक्टर एन.आई.सी.कक्ष क्रं. 84) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय कलेक्टर/जिला पंचायत जबलपुर के सूचना पटल पर चस्पा प्रकाशन हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय तहसील कुण्डम के सूचना पटल पर चस्पा प्रकाशन हेतु।
7. तहसीलदार, कुण्डम को सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा प्रकाशन कर एक प्रति वापस करें।
8. सरपंच ग्राम दरगढ़ की ओर प्रकाशनार्थ एवं आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें।

(महेश चन्द्र चौधरी)
कलेक्टर जिला जबलपुर
एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग